



क्र./शिक्षक-शिक्षा/05-01/बी.एड.(विभागीय)/प्रवेश/2025-26 1306 रायपुर, दिनांक 17/04/2025

प्रति,

1. प्राचार्य,
शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर
2. प्राचार्य,
शासकीय शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर
3. प्राचार्य,
शासकीय शिक्षक-शिक्षा महाविद्यालय, कांकेर

विषय :- बी.एड. (विभागीय) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम सत्र 2025-27 में प्रवेश बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत बी.एड.(विभागीय) 2025-27 में प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की गई है :-

1. राज्य के शासकीय स्कूलों में कार्यरत बी.एड. अप्रशिक्षित शिक्षक बी.एड. प्रशिक्षण के लिए दिनांक 22.04.2025 से 07.05.2025 तक SCERT के वेबसाइट <https://scert.cg.gov.in> में निर्धारित प्रारूप में Online आवेदन कर सकते हैं। इस भरे हुए आवेदन का प्रिन्ट प्राप्त कर आवेदन के हार्डकापी में आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर शिक्षकों को जिलों से संबंधित शिक्षा महाविद्यालय में दिनांक 13.05.2025 तक जमा करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शिक्षक को कार्यरत संस्था के प्रमुख से अपना आवेदन अग्रेषित कराना होगा तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी से अपनी सेवा से संबंधित जानकारी सत्यापित कराना होगा।

शासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्यरत अभ्यर्थी अपने संस्था प्रमुख के द्वारा आवेदन सत्यापित/अग्रेषित कराके हार्डकापी सीधे संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रेषित करेंगे।

आप जिला शिक्षा अधिकारी को प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में तत्काल पत्र द्वारा सूचित करें। उन्हें यह भी निर्देशित करें कि वे बी.एड. प्रवेश प्रक्रिया 2025-27 हेतु समय पर सूचना प्रसारित करें तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करें। Online आवेदन पत्र तथा निर्देश एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट <https://scert.cg.gov.in> पर भी उपलब्ध है

इसकी जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी को दें तथा आपके कार्यालय के सूचना बोर्ड पर भी चस्पा करें। बी.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम में चयन एम.एड. (विभागीय) प्रवेश नियम में गठित चयन समिति ही करेगी।

एम.एड. विभागीय प्रवेश नियमानुसार चयन समिति गठित करें तथा चयन की कार्यवाही पूरा कर चयन सूची दिनांक 11.06.2025 तक जारी करें तथा इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रमुख को दें जिससे संस्था प्रमुख संबंधित शिक्षक को निर्धारित अवधि में प्रवेश हेतु कार्यमुक्त कर सकें, ताकि अध्यापन कार्य संभावित जुलाई माह से अनिवार्यतः सुनिश्चित हो। सूची जारी करने के दिवस ही चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची की प्रति परिषद् को आवश्यक रूप से भेजे तथा ई-मेल scertcg@gmail.com पर ई-मेल करें ताकि इसे एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

2. बी.एड.विभागीय (नियमित) प्रशिक्षण हेतु सीटों का आबंटन करने हेतु पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश निम्नानुसार है—

2.1 आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत बी.एड. अप्रशिक्षित व्याख्याता/व्याख्याता LB/व्याख्याता (पंचायत)/प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला/उच्च श्रेणी शिक्षक/शिक्षक LB/शिक्षक (पंचायत)/प्रधानपाठक प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक/सहायक शिक्षकLB व सहायक शिक्षक (पंचायत) जो NCTE के नाम्स अनुसार अर्थात् 50 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्तांक के साथ स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो, बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए पात्रता रखते हैं। इंजीनियरिंग में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। SC/ST/OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर)/दृष्टिबाधित/शिथिलांग वर्ग के लिए इस न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। बी.एड. पात्रता के लिए स्नातक स्तर की उपाधि मान्य हैं, परन्तु स्नातक में प्राप्तांक निर्धारित प्राप्तांक से कम होने पर स्नातकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता होगी। चयन हेतु पद का वरीयता क्रम निम्नानुसार होगा —

1. स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग 'ई' व 'टी' के लिए — व्याख्याता/प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला/उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधानपाठक प्राथमिक शाला/सहायक शिक्षक।
2. स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग LB (इसमें LB 'E' व LB 'T' दोनों शामिल हैं) व पंचायत एवं नगरीय निकाय के शिक्षकों के लिए — व्याख्याता LB/व्याख्याता

(पंचायत/प्रधान पाठक पूर्व मा.शा. LB)/शिक्षक LB/शिक्षक (पंचायत)/प्रधान पाठक प्राथमिक शाला LB/सहायक शिक्षक (LB)/सहायक शिक्षक (पंचायत)।

2.2 उक्त पदों पर कार्यरत शिक्षक जो कि निर्धारित प्राप्तांक के साथ स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण है तथा डी.एड./बी.टी.आई./डी.एल.एड. प्रशिक्षित प्राप्त किया हों तो उन्हें भी आवेदन करने की पात्रता होगी।

2.3 प्रवेश हेतु चयन वरिष्ठता के आधार पर होगा। वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले शिक्षक को प्रवेश दिया जाएगा।

2.4 परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे।

2.5 अभ्यर्थी की अधिकतम आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई 2025 को 55 वर्ष से अधिक न हो।

2.6 बी.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम के सीटों को स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग 'ई', 'टी' तथा 'LB' व पंचायत एवं ग्रामीण विकास व नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के लिए आरक्षित किया गया है।

2.7 किसी एक विभाग की सीटें रिक्त रहती हैं तो दूसरे विभाग के शिक्षकों से सीटों को परस्पर निम्नानुसार भरा जायेगा –

- I. किसी विभाग की सीटें रिक्त रहने पर उसी विभाग से पद वरिष्ठता से सीटें भरी जावेगी उसके पश्चात् भी सीट्स रिक्त रहने पर स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' एवं स्कूल शिक्षा विभाग 'टी', तथा स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक 'LB' व पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग व नगरीय निकाय संवर्ग के क्रम से भरी जाएगी।

जैसे- स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' के व्याख्याता की सीट रिक्त रहने पर उसी विभाग के प्रधानपाठक, पूर्व माध्यमिक शाला/उच्च श्रेणी शिक्षक से भरी जाएगी। इसके बाद सीट रिक्त रहने पर प्रधानपाठक, प्राथमिक शाला से भरी जायेगी। विभाग की सीटें इस प्रक्रिया के बाद भी रिक्त रहने पर ये सीटें स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' से इसी क्रम में भरी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग 'टी' की सीट्स रिक्त रहने पर स्कूल शिक्षा विभाग 'ई' से इसी क्रम में भरी जाएगी।

- II. उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार सीटें परिवर्तन करने के बाद भी यदि सीटें रिक्त रहती हैं तो ये सीटें स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक LB संवर्ग एवं

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय निकाय संवर्ग के व्याख्याता (पंचायत), शिक्षक (पंचायत) से पद वरिष्ठता क्रम में भरी जायेगी।

- III. समस्त अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति आदेश की छायाप्रति (आदेश की प्रति उपलब्ध न होने की स्थिति में नियुक्ति एवं पदोन्नति आदेश का उल्लेख सेवापुस्तिका के जिन पृष्ठों में हो, की छायाप्रति) तथा सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों के पद कार्यभार ग्रहण करने का दिवस अंकित हो, जमा करना होगा अन्यथा उनके आवेदन को निरस्त किया जावेगा।
- IV. अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कापी सीधे अथवा डाक से संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में दिनांक 13.05.2025 तक महाविद्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाना है। बाद में प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा एवं इसके लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगी।

2.8 एक संस्था से एक ही शिक्षक का चयन किया जायेगा। यदि एक ही संस्था से दो आवेदन प्राप्त होते हैं तो पद वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शिक्षक का चयन किया जायेगा।

2.9 विभागीय अभ्यर्थियों से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।

2.10 शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन फार्म भरते समय दी गई प्रथम नियुक्ति/पदोन्नति व वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक संबंधी जानकारी व वास्तविक दस्तावेजों पर दी गई जानकारी में भिन्नता होने पर ऐसे शिक्षकों के आवेदन को महाविद्यालय अमान्य कर सकती है।

2.11 शिक्षकों को आवेदन करने तथा चयन होने पर कार्यमुक्त होने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से NOC की आवश्यकता नहीं होगी।

3. (1) सेवा संबंधित जानकारी सत्यापित करने वाले अधिकारी के लिए चेकलिस्ट –

- अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई 2025 को 55 वर्ष से अधिक न हो।
- अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई जांच/आपराधिक मामला/न्यायालयीन प्रकरण/दण्ड/निलंबन की कार्यवाही लंबित न हो।
- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति तिथि से संबंधित सेवा पुस्तिका में अंकित पृष्ठों की छायाप्रति की जांच करें।

- संविदा शिक्षक व शिक्षाकर्मि वाले प्रकरण में संविदा शिक्षक व शिक्षाकर्मि पद में नियुक्ति की तिथि पृथक-पृथक अंकित किया है या नहीं।
- स्नातक/स्नातकोत्तर में से किसी एक में अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक तथा अनु.जाति./अनु.जन.जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक है अथवा नहीं, जांच करें। इंजीनियरिंग के स्नातको हेतु 55 प्रतिशत तथा इंजीनियरिंग में आरक्षित वर्ग हेतु 50 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक होंगे। प्राप्तांक में छूट के लिए SC/ST तथा OBC (क्रीमीलेयर को छोड़कर), दृष्टिबाधित/शिथिलांग वर्ग को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

3. (2) अग्रेषण करने वाले अधिकारी परीवीक्षा अवधि वाले शिक्षकों के आवेदन को अग्रेषित न करें। एक ही शाला से एक ही शिक्षक का आवेदन अग्रेषित करें।

4. चयन के समय यह आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें कि सेवा सत्यापित करने वाले अधिकारी द्वारा आवेदन को चेक लिस्ट के अनुसार जांच किया गया है अथवा नहीं।

5. दोनों शिक्षा महाविद्यालयों में सीटों का बँटवारा निम्नानुसार है :-

क्र	संस्था का नाम	स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग 'ई'		स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग 'टी' (आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग)		स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग LB (E व T) व पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग		योग	सीधी भर्ती के सीट्स	कुल
		व्याख्याता	प्र.पाठक.पूर्व माध्यमिक शाला /उ.श्रे.शि./ प्र.पाठक प्राथ. शाला/सहा. शिक्षक	व्याख्याता	प्र.पाठक . उच्च प्राथमिक शाला/ उ.श्रे.शि./ प्र.पाठक प्राथ. शाला/सहा. शिक्षक	व्याख्याता LB / व्याख्याता (पंचायत)	प्रधान पाठक मा. शाला LB / शिक्षक LB / शिक्षक (पंचायत) / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला LB / सहा. शिक्षक LB / सहा. शिक्षक (पंचायत)			
1	शास. उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान बिलासपुर	8	7	8	7	25	20	75	75	150
2	शास. शिक्षक शिक्षा महा.वि.रायपुर	8	7	8	7	25	20	75	75	150
3	शास. शिक्षक शिक्षा महा.वि.कांकेर	3	2	3	2	8	7	25	25	50

6. शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE) बिलासपुर, शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर न शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, कांकेर में बी.एड. (निभागीर) के चयनित छात्राध्यापकों का वेतन उनके पूर्व पदस्थ संस्था से ही आहरित की जाएगी।

7. (अ) शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर से संबद्ध जिले :-

1. रायपुर 2. महासमुंद 3. दुर्ग 4. राजनांदगांव 5. कवर्धा
6. धमतरी 7. बेमेतरा 8. बलौदाबाजार 9. बालोद 10. गरियाबंद
11. खैरागढ़-छुईखदान गड़ई 12. मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी।

(ब) शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर से संबद्ध जिले :-

1. बिलासपुर 2. कोरबा 3. जांजगीर 4. रायगढ़ 5. जशपुर
6. सरगुजा 7. सूरजपुर 8. बलरामपुर 9. कोरिया 10. मुंगेली 11. सक्ति
12. गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 13. मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी-भरतपुर 14. सारंगढ़ - बिलाईगढ़

(स) शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, कांकेर से संबद्ध जिले :-

1. कांकेर 2. बस्तर 3. दंतेवाड़ा 4. सुकमा 5. बीजापुर 6. कोण्डागांव 7. नारायणपुर ।

8. प्रवेश हेतु प्रशिक्षार्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय एवं नियमों की व्याख्या करने के लिए संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

(दिव्या उमेश मिश्रा) IAS
संचालक 17/4/25

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

पृ. क्र./शिक्षक-शिक्षा/05-01/बी.एड.(विभागीय)/प्रवेश/2025/1307 रायपुर, दिनांक 17/04/2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
5. संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
6. संचालक, नगरीय प्रशासन विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
7. कुलसचिव, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर/अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर/शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर।

(दिव्या उमेश मिश्रा)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

एम.एड. (विभागीय)/एम.एड.(सीधी भर्ती)/बी.एड. (विभागीय) सत्र 2025-27 में प्रवेश के लिए संभावित समय-सारणी

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित तिथि	अभ्यर्थी द्वारा सीधे/डाक से संबंधित महाविद्यालय में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जाँच की अंतिम तिथि	चयन परीक्षा की संभावित तिथि	दावा आपत्ति के लिए मॉडल उत्तर जारी करना	दावा आपत्ति की अवधि	उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन एवं मेरिट सूची तैयार करना	एम.एड. (विभागीय/सीधी भर्ती) में सफल अभ्यर्थियों के आवेदनों की जांच	चयन समिति की बैठक तिथि	चयन सूची जारी करने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बी.एड. (विभागीय)	22/04/25 से 07/05/25 तक	13/05/25	30/05/2025	—	—	—	—	—	10/06/25 तक	11/06/25 से 18/06/2025 तक दावा आपत्ति हेतु तथा दिनांक 20.06.2025 तक चयन सूची जारी करना।
2	एम.एड. (विभागीय)	22/04/25 से 07/05/25 तक	13/05/25	—	10/06/25	13/06/25	13/06/25 से 09/06/2025	23/06/25	27/06/25	05/07/25 तक	जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक प्रथम सूची जारी करना।
3	एम.एड. (सीधी भर्ती)	22/04/25 से 07/05/25 तक	13/05/25	—	10/06/25	13/06/25	13/06/25 से 09/06/2025	23/06/25	27/06/25	05/07/25 तक	जुलाई के द्वितीय सप्ताह तक प्रथम सूची जारी करना।

नोट — * चयन परीक्षा की संभावित तिथि अंकित है इसी प्रकार चयन समिति की बैठक की तिथि, दावा आपत्ति की तिथि व चयन सूची जारी करने की तिथि परिवर्तनीय है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। तिथियों में परिवर्तन की जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. के साइट में दिया जायेगा।

(संचालक द्वारा अनुमोदित)


(हेमन्त कुमार साव)

प्रकोष्ठ प्रभारी
शिक्षक शिक्षा

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर